न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 65/2023

उनवान

वीर सिंह पुत्र गबरूलाल जाति माली नि0 अजमेर।
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

बनाम

1. रामरतन पुत्र सुवालाल
2. चतुर्भज पुत्र उगमा
3. छोटू
4. बसराम
5. रामप्रताप
6. रामप्रसाद
7. शान्तिलाल
8. अमरा पि. उगमा
9. केसर पुत्र ज्वारा **फौत**
10. छीतर पुत्र ज्वारा
11. श्योराम
12. हरिराम पि0 ज्वारा
13. मिश्रीलाल पुत्र झीता जाति जाट नि0 केरियाखुर्द नसीराबाद
14. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

––– अप्रार्थीगण :– 1, 2, 5, 8, 10 से 13 जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया
14 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

दिनांक :– 15/7/24

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केरियाखुर्द के हाल खसरा नम्बर 1129/316 रकबा 2.40 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये मौखिक रूप से आवेदन करने पर पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 13 द्वारा दखलदांजी करते हुये नियमानुसार पत्थरगढी की बात कहते हुये सीमांकन पर एतराज किया गया। प्रार्थी अपनी आराजी की सुरक्षा करवाना चाहता है जिस[illegible] पत्थरगढी करवाना आवयक है। उक्त आराजी की पत्थरगढी के अभाव में अप्रार्थी[illegible] आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार[illegible] पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:00:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। 1, 2, 5, 8, 10 से 13 जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.03.23 को किसी भी प्रकार का मोखिक रूप से सीमांकन नही कराया है। तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष कभी भी सीमाज्ञान के लिये आवेदन पेश नही किया है। दिनांक 25.01.22 को मौके पर फसल काश्त होने के कारण सीमाज्ञान की कार्यवाही नही हो सकी है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान नही करवाया है अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.01.22 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। तत्समय मौके पर फसल काश्त होने के कारण सीमाज्ञान की कार्यवाही नही हो सकी। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य मौके पर विवाद है। वही अप्रार्थीगण का कथन है कि उनकी आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान हेतु आवेदन नही दिया है। किन्तु प्रार्थी ने तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन पूर्व में पेश किया है। पत्थरगढी करने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। पत्थरगढी करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नही पडेगा। राज0 पैरोकर ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। शेष अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी प्रस्तुत कर सकते है।

अतः केरियाखुर्द के हाल खसरा नम्बर 1129/316 रकबा 2.40 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:00:19 IST
Reason: SelfAttested